रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 1990/अग्रहायण 1, 1912

No. 685] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1990/AGRAHAYANA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1990

का. आ. 885 (अ):—जबकि केन्द्रीय सरकार की राय है कि ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया), लि. रांची के नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और जबकि विवाद के पक्षकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि रिट याचिका (सी) संख्या 1186/1986 में आ.ए. संख्या 1/1989 में अंतर्ग्रस्त विवाद का एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए, उक्त माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 22 अक्तूबर, 1990 के आदेश में, जो केन्द्रीय सरकार को 12 नवम्बर, 1990 को प्राप्त हुआ है, केन्द्रीय सरकार को विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने का निदेश दिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार—

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और न्यायमूर्ति श्री एस. चक्रवर्ती को इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है; और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में औद्योगिक विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि. के कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व आल इंडिया ब्रिज एंड रूफ इम्प्लाइज यूनियन, रांची ने किया है, द्वारा उक्त उपक्रम के प्रबंधतंत्र के समक्ष उठायी गयी मांगें, जो कि इसके साथ संलग्न अनुबन्ध में दी गयी हैं, न्यायोचित हैं। यदि हां तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं।"

[सं. एल-51016(1)/90-आई. एंड ई. (एस. एस.)]

हीरक घोष, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

1. उन सभी कर्मकारों, जिनकी छंटनी की गई है, को फिर से दहाल किया जाना चाहिये या कम्पनी की किसी भी चालू परियोजनाओं में पुनर्नियोजित किया जाना चाहिए तथा उस परियोजना के पूरा होने के बाद उनकी छंटनी नहीं की जानी चाहिए।

2. उन सभी कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कर्मकारों को, जिन्होंने 2-3 वर्ष तक सेवा की है, भारत/विदेश में कहीं भी स्थानान्तरण के दायित्व सहित नियमित प्रतिष्ठानों में रखा जाना चाहिए।

3. मैसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंधतंत्र तथा उनके कर्मकारों के बीच 10-9-83 को हुए समझौते को ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इन्डिया) लिमिटेड के कर्मकारों के सम्बन्ध में भी लागू किया जाये।

4. दिनांक 3-7-84 के ज्ञापन में उल्लिखित मांगें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) सभी मास्टररोल, कैजुअल, अस्थायी इत्यादि कर्मचारियों मजदूरों की सेवाओं को स्थायी किया जाये।

(2) सभी कर्मचारियों/मजदूरों को खान, स्टील प्लान्ट, बी.एच.ई.एल. इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों के समान मजदूरी एवं मंहगाई भत्ता दिया जाए।

(3) सभी कर्मचारियों को परियोजना/साइट भत्ता दिया जाय जिस तरह से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में दिया जाता है।

(4) निजी ठेकेदारों या किन्ही अन्य एजेंन्सियों को काम भाड़े पर लगा देने (सबलेटिंग) की वर्तमान प्रथा को सर्वदा के लिए समाप्त किया जाय तथा कंपनी एवं राष्ट्र के भी हित में सम्पूर्ण कार्य को विभागीय तौर पर कार्यान्वित किया जाए।

(5) सभी कर्मचारियों को पर्याप्त रूप में चिकित्सा की सुविधायें/भत्ता दिया जाय जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के दूसरे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वह उपलब्ध है।

(6) सभी श्रेणी के कर्मचारियों/मजदूरों को आवास की समुचित सुविधायें उपलब्ध करायी जाएं।

(7) कर्मचारियों/मजदूरों के बच्चों को सभी स्तर तक शिक्षा की सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करायी जाएं।

(8) प्रबन्धन की "हायर एवं फायर" (लाओ और भगाओ) से संबंधित नीति को सर्वदा के लिये समाप्त किया जाये तथा कर्मचारियों मजदूरों की छंटनी हमेशा के लिए बन्द की जायें, जो न सिर्फ अमानवीय एवं अनैतिक है, बल्कि भारत सरकार की वर्तमान नीतियों के भी विरूद्ध है।

(9) चूंकि ब्रिज एंड रुफ कंपनी के कर्मचारी असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, उन्हें अपने को संगठित करने के लिये सरकारी नीतियों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधायें दी जायें।

(10) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की सुविधा सभी कर्मचारियों/मजदूरों को बिना किसी भेदभाव के दी जाये तथा उसकी कटौती/अंशदान को सहायक भविष्य निधि आयुक्त के प्रशासन के तहत राज्यों में जमा करने के बजाय केन्द्रीय खाता में जमा किया जाय।

(11) कर्मचारियों/मजदूरों के विरुद्ध आतंक के साम्राज्य, उत्पीड़न, शोषण, तबाही, अनौचित्यपूर्ण श्रम कार्यवाई, दमन, धमकियां, मूल अधिकारों पर हमले एवं प्रबन्धन के अमानवीय व्यवहारों को तुरंत बंद किया जाये।

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 1990

S.O. 885(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bridge & Roof Co. (India) Ltd., Ranchi and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas, the parties to the dispute having agreed before the Supreme Court that the dispute involved in IA No. 1 of 1989 in Writ Petition (C) No. 1186/1986 should be adjudicated by a National Tribunal, the said Hon'ble Court, vide its order, dated 22nd October, 1990, received by the Central Government on 12th November, 1990, has directed the Central Government to refer the dispute for adjudication to a National Tribunal.

Now, therefore, the Central Government

(i) in exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters at Calcutta and appoints Justice Shri S. Chakravorty as its Presiding Officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (IA) of Section 10 of the said Act, hereby refers the industrial dispute in respect of the matters specified in the schedule, to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the demands raised by the workmen of M/s. Bride and Roof Co. (India) Ltd. represented by the AII India Bridge and Roof Employees' Union, Ranchi, on the management of the said undertaking, as given in the Annex attached herewith are justified. If so, to what relief the workmen concerned are entitled to and from what date".

[No. L-51016(1)/90-I&E(SS)]

HIRAK GHOSH, Jt. Secy.

ANNEXURE

1. All the workmen who have been retrenched should be reinstated or at least re-employed in any of the Company's on-going projects and they should not be retrenched after completion of a the project.

2. All those skilled, semi-skilled and unskilled workmen who have put in service of 2-3 years should be brought on regular establishment with transfer liability to anywhere in India abroad.

3. The settlement daed 10-9-83 reached between the management of M|s. National Project Construction Corporation Ltd. and their workmen may also be given effect to in respect of the workmen of the Bridge and Roof Company (India) Ltd.

4. The demands contained in the charter of demands dated 3-7-84 namely :

"(1) Service of all muster roll, casual, temporary etc. employees|workers be made permanent.

(2) All the employees|workers be given wage and D.A. at par with the employees, working in Mines, Steel Plants, BHEL etc.

(3) All the employees be given project|site allowanec as being given in other public undertakings.

(4) Existing system of subletting of work to the private sub-contractors or any other sub agency be abolished once for all and entire work be executed departmentally in the best interest of the company and also the nation at large.

(5) All employees be provided sufficient medical facilities|allowance as being given to the employees of the other Central Government Undertakings.

(6) All categories of employees|workers be provided sufficient housing accommodation.

(7) Children of employees|workers be given all sorts of educaional facilities upto all levels.

(8) "Hire and fire" policy of the management must go lock, stock and barrel retrenchment of employees|workers be stopped once for all which is not only in human, immoral, but also against the existing policy of the Government of India.

(9) Since the workers of Bridge & Roof Company of India belong to the unorganised sector, they be extended all kinds of facilities in order to get them organised in accordance with the policy of the Government.

(10) E.P.F. facilities be extended to all the employees|workers without any discrimination and deductions|contributions of the same be deposited in Central account instead of depositing the same in the states under the administration of Asstt. Provident Fund Commissioners.

(11) The regin of terror, oppression, exploitation, harassment, unfair labour practices, victimistaion threats attack on fundamenal righs and in human dealings of the management against the workers|employees be stopped forwith."

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054, 1990